न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 146/2020

अनवान :

1. बनवारी लाल पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी त0 भादरा।
:– **वादी**

ब ना म

1 फुसाराम पुत्र तुलछीराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी त0 भादरा।
2 आईदान पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी त0 भादरा।
3 कोरसिंह पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी त0 भादरा।
4 सुबेसिंह पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी त0 भादरा।
5 पारा पुत्री फुसाराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी त0 भादरा।
6 इन्द्रा पुत्री फुसाराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी त0 भादरा।
7 किसनी पुत्री फुसाराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी त0 भादरा।
8 निरमा पुत्री फुसाराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी त0 भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट भादरा (हनुमानगढ़)

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी**: वादी**
वकील श्री संजय कुमार **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 22-12-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 52/50 के खसरा सं0 100/1 की 5.312है0, खसरा सं0 189 की 2.466है0, खसरा सं0 190/2 की 0.101है0, खसरा सं0 245/1 की 1.670है0 व खसरा सं0 270 की 4.274है0 कुल 13.823है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 फुसाराम के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता तुलछीराम की खातेदारी हुआ करती थी। तुलछीराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 फुसाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर काश्त करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यह वाद पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:16 IST
Reason: Self Attested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 8 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु बनवारीलाल पुत्र फुसाराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम जिगासरी छोटी संवत 2072–75 खाता सं0 52/50 प्रदर्श 1, खसरा खतौनी प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अलायला प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील यादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम जिगासरी छोटी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में वारिसप्रमाण पत्र में चार पुत्र बनवारीलाल, आईदान, कोरसिंह व सुबेसिंह व चार पुत्री पारा, इन्द्रा, किशनी व निरमा के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 52/50 के खसरा सं0 100/1 की 5.312है0, खसरा सं0 189 की 2.466है0, खसरा सं0 190/2 की 0.101है0, खसरा सं0 245/1 की 1.670है0 व खसरा सं0 270 की 4.274है0 कुल 13.823है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 फुसाराम का नाम कलमजन किया जाकर वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं 2 ता 4 का बहिस्सा बराबर है। चुंकि प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादीया सं0 5 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इस प्रकार वादभूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को संयुक्त रूप बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 52/50 के खसरा सं0 100/1 की 5.312है0, खसरा सं0 189 की 2.466है0, खसरा सं0 190/2 की 0.101है0, खसरा सं0 245/1 की 1.670है0 व खसरा सं0 270 की 4.274है0 कुल 13.823है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 फुसाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादीया सं0 5 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी बनवारीलाल व प्रतिवादी सं0 2 आईदान, प्रतिवादी सं0 3 कोरसिंह व प्रतिवादी सं0 4 सुबेसिंह को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22-12-2020 ... लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:16 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 146/2020

1. बनवारी लाल पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1 फुसाराम पुत्र तुलछीराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी त0 भादरा।
2 आईदान पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी त0 भादरा।
3 कोरसिंह पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी त0 भादरा।
4 सुबेसिंह पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी त0 भादरा।
5 पारा पुत्री फुसाराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी त0 भादरा।
6 इन्द्रा पुत्री फुसाराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी त0 भादरा।
7 किसनी पुत्री फुसाराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी त0 भादरा।
8 निरमा पुत्री फुसाराम जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी त0 भादरा।

:–प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सरजीत बिजारणियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 52/50 के खसरा सं0 100/1 की 5.312है0, खसरा सं0 189 की 2.466है0, खसरा सं0 190/2 की 0.101है0, खसरा सं0 245/1 की 1.670है0 व खसरा सं0 270 की 4.274है0 कुल 13.823है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 फुसाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादीया सं0 5 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी बनवारीलाल व प्रतिवादी सं0 2 आईदान, प्रतिवादी सं0 3 कोरसिंह व प्रतिवादी सं0 4 सुबेसिंह को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:39:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner